

दुकान या कारोबारी मय इन्डिभिडुअल अज

अंश नं. १०१३३
 अदालत की दुकान
 दुकान की मालिक
 के नाम से

18/3/26

वकीलवादी उप.। जिरह साक्ष्यवादी हेतु जवाह
 अज्ञ.। जिरह हेतु आगामी पूर्ण पर
 आवश्यक रूप से पेश होगे हेतु अंतिम
 अवसर दिया। पत्रा. वान्ति जिरह
 साक्ष्यवादी दि. 18/3/26 को पेश हो।

५५

18/3/26

वकीलवादी उप.। वकीलवादी ने साक्ष्यवादी पेश
 करने से मना कर खत्म हेतु निवेदन करने पर बल
 पत्रा. वा. ५३ खूनी गहरी पत्रावली वान्ति इन्डि
 दि. 25/3/26 को पेश हो।

५५

25/3/26

वकील वादी उपस्थित बहस एकपक्षीय चुनी गयी। वकील वादी ने वाद पत्र में
 वर्णित तथ्यों को संक्षेप में दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीनी की खातेदार
 अधिकार की भूमि खसरा सं० 755/330 रकबा 0.3642 है० वाके आम बल्लोप
 पट्टार हल्का व भू०अभि०नि० बल्लोप में विरहित है। जिस पर
 वादीनी शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 जबरन ताकत
 के बल पर कब्जा कर वादीनी को अपनी भूमि से बेदखल करने पर आगवादा
 है। प्रतिवादी 1 परोक्ष व अपरोक्ष रूप से वादीनी को अपनी कृषि भूमि पर
 फसल करने से व्यवधान पैदा करता है। कुछ भी कहने पर लडाई झगडा व
 झूठे केस में फसाने की धमकी देता है। वादीनी को अधिकार प्राप्त है कि
 उक्त परिस्थितियों में प्रतिवादी क्रम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि
 वह वादीनी की खातेदारी अधिकार की भूमि से वादीनी को बेदखल नही करे,
 प्रतिक्रमण नही करे तथा कृषि कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही
 करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे। अतः
 वादीनी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने
 की कृपा करे।

बहस उभयपक्ष पर गजन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का
 अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी
 खसरा सं० 755/330 रकबा 0.3642 है० वाके आम बल्लोप पट्टार हल्का
 व भू०अभि०नि० बल्लोप वादीनी की खातेदारी अधिकार की भूमि है जिस पर
 वादीनी को समस्त खातेदारी अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी क्रम 1 का वाद
 वर्णित आराजी पर किसी प्रकार का कोई हक अधिकार निहित नही है। अतः
 वादीनी को अपने खातेदारी अधिकार की भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 के विरुद्ध
 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार निहित है। अतः वाद वादीनी स्वीकार
 कर प्रतिवादी क्रम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह
 वादखस्त आराजी खसरा सं० 755/330 रकबा 0.3642 है० वाके आम
 बल्लोप पट्टार हल्का व भू०अभि०नि० बल्लोप पर से वादीनी को जबरन

५५

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बलपूर्वक खेदखल नही करे, अतिक्रमण नही करे तथा कृषि कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। डिक्री पर्व जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

५५

हुकम
में पत्र